

ગુજરાત ધાર્મિક વિશ્વવિદ્યાલય, બિલાસપુર (છ.ગ.)

વિદ્યાપરિષદ કી સ્થાયી સમિતિ કી બૈઠક દિનાંક 09.03.2018 એવં સ્થગિત બૈઠક
દિનાંક 12.03.2018 કા કાર્યવિવરણ

વિદ્યાપરિષદ કી સ્થાયી સમિતિ કી બૈઠક દિનાંક 09.03.2018 કો સાયં 4:00 બજે પ્રશાસનિક ભવન
કે સમાકક્ષ મેં સંપન્ન હુઈ। બૈઠક મેં ઉપસ્થિતિ નિર્માનનુસાર રહી :—

1.	પ્રો. અંજિલા ગુપ્તા, કુલપતિ	અધ્યક્ષ
2.	પ્રો. પી.કે. બાજપેયી	સદસ્ય
3.	પ્રો. એ.એસ. રણદિવે	સદસ્ય
4.	પ્રો. મનીષ કુમાર શ્રીવાસ્તવ	સદસ્ય
5.	પ્રો. વ્હી.ડી. રંગારી	સદસ્ય
6.	પ્રો. વિશન સિંહ રાઠૌડ	સદસ્ય
7.	પ્રો. એમ.કે. સિહ	સદસ્ય
8.	ડૉ. રેણુ ભટ્ટ	સદસ્ય
9.	પ્રો. શૈલેન્ડ્ર કુમાર	સદસ્ય
10.	ડૉ. એસ.એસ. ધૂરિયા	સદસ્ય
11.	ડૉ. એમ.સી. રાવ	સદસ્ય
12.	ડૉ. રાકેશ પાણ્ડેય	સદસ્ય
13.	પ્રો. બી.એન. તિવારી, કુલસચિવ (કાર્યવાહક)	સચિવ

નિર્માનિત વિષયોં પર ચર્ચા ઉપરાંત નિર્માનનુસાર નિર્ણય લિયે ગયે :—

વિષય ક્ર. 01 વિદ્યાપરિષદ કી સ્થાયી સમિતિ કી બૈઠક દિનાંક 14.02.2018 કે કાર્યવૃત્ત કી સમુચ્ચિત પર
વિચાર કરના।

વિદ્યાપરિષદ કી સ્થાયી સમિતિ કી બૈઠક દિનાંક 14.02.2018 કે કાર્યવૃત્ત કી સંપુષ્ટિ ઇસ
સંશોધન કે સાથ કી ગઈ કિ અધ્યક્ષ કે અનુમતિ સે અન્ય વિષય મેં ‘વિનિયમ’ કો સ્પષ્ટ
રૂપ સે ‘છાત્ર પરિષદ સંબંધી વિનિયમ’ લિખા જાયે।

વિષય ક્ર. 02 અધિષ્ઠાત્રાઓ કી બૈઠક દિનાંક 10-02-2018 કે કાર્યવૃત્ત પર વિચાર।

અધિષ્ઠાત્રાઓ કી બૈઠક દિનાંક 10-02-2018 કે કાર્યવૃત્ત પર વિચાર કર નિર્માનનુસાર
નિર્ણય સ્થાયી સમિતિ દ્વારા લિયા ગયા —

(અ) શોધ અધ્યાદેશ એવં વિનિયમ કે પ્રારૂપ કા અનુમોદન કિયા ગયા।

(બ) અકાદમિક ક્લેન્ડર 2018-19 કે પ્રારૂપ કા અનુમોદન કિયા ગયા તથા યા ભી
નિર્ણય લિયા ગયા કિ વિશ્વવિદ્યાલય પ્રશાસન દ્વારા સમય-સમય પર પ્રદત્ત કાર્યો કે તથા
સમયાવધિ મેં પૂર્ણ કરને કી જિમ્મેદારી સંબંધિત શિક્ષક કી હોગી।

(સ) VET 2018 કે લિએ Integrated programme કે સ્થાન પર B.A. / B.Sc. / B.Com. કે
સાથ વિજ્ઞાપન જારી કરને અધ્યાદેશ મેં સંશોધન કર આવશ્યક કાર્યવાહી કી જાયે।

(દ) માનદેય સંબંધી પ્રસ્તાવ કા અનુમોદન કિયા જાયે તથાપિ વિષય વિત્ત સમિતિ કે સમક્ષ
સૂચનાર્થ રખા જાયે। સમિતિ ને યા ભી નિર્ણય લિયા કિ દેય પારિશ્રમિક / માનદેય મેં 01
શિફ્ટ કી પરીક્ષા હોને પર પર્યવેક્ષકોં કા દેયક રાશિ કા આધી રાશિ (જૈસે પર્યવેક્ષક કે રૂ
1000 કા આધા રૂ 500) તથા 200 રૂ. પરિવહન ભત્તા પૂરા પ્રદાન કિયા જાયે। યદિ કિસી
ભી વ્યક્તિ કો વિશ્વવિદ્યાલય કી ઓર સે વાહન પ્રદાન કિયા જાતા હૈ તો પરિવહન ભત્તા
પ્રદાન ન કિયા જાયે।

(ई) प्रस्तावित दरों का अनुमोदन किया जाये तथापि विषय वित्त समिति के समक्ष सूचनार्थ रखा जाये।

- विषय क्र. 03** **VET परीक्षा आयोजन हेतु प्रश्नपत्र के माध्यम पर विचार ।**
समिति ने निर्णय लिया कि वर्ष 2018 की VET पूर्व वर्षों की भाँति ही करा ली जाये। सभी प्रश्न पत्रों को द्विभाषी करने की व्यवस्था वर्ष 2019 के VET में आवश्यक रूप से की जाये।
- विषय क्र. 04** **कुलाधिपति पदक वितरण संबंधी विनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार करना।**
स्थायी समिति ने कुलाधिपति पदक के लिए वितरण संबंधी विनियम में प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन किया।
- विषय क्र. 05** **M/S Envirocare Enterprises, New Delhi द्वारा सेंदरी बिलासपुर में स्थापित अवशिष्ट शुद्धिकरण यत्र से निकले हुए पानी की जांच एवं विशेषज्ञ परामर्श हेतु किये गये निवेदन पर विचार करना।**
स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्राप्त प्रस्ताव पर अनुमति प्रदान की जाये तथा भविष्य में ऐसे प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए स्पष्ट नीति (विनियम) का निर्धारण कर लिया जाये।
- विषय क्र. 06** **अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला के बी.टेक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों का मिड सेमेस्टर प्रेक्विटकल / सेशनल (आंतरिक) परीक्षा के संचालन / आयोजन बाबत।**
स्थायी समिति ने निर्णय लिया कि प्रभावी अध्यादेश के अनुसार कार्यवाही करने के लिए संबंधित अधिष्ठाता अधिकृत रहेंगे। अधिष्ठाता अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला, अध्यादेशों के अधीन कार्यवाही संपन्न करेंगे।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय

- अ.अ.क. 1** अधिष्ठाताओं के समिति की बैठक दिनांक 30.11.2016 के कार्यवृत्त में आ रही परेशानी का निराकरण करते हुए निर्णय लिया गया कि बहुमत से लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही संपादित किया जाये।
- अ.अ.क. 2** Chair के सृजन संबंधी प्राप्त प्रस्तावों पर चर्चा की गई तथा निर्णय लिया गया कि UGC द्वारा जिन चेयर्स के सृजन के प्रस्ताव मंगाये जाते हैं उन्हीं चेयरों के प्रस्ताव बनाकर सृजन संबंधी कार्यवाही की जाये।
- अ.अ.क. 3** अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला के विज्ञापित पदों की अर्हता के पुनर्निर्धारण किये जाने की आवश्यकता है। अतः UGC एवं AICTE के प्रावधानों के प्रकाश में अर्हता संबंधी उचित प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु एक समिति गठित की जाये। समिति के सदस्य नामित करने हेतु कुलपति महोदया अधिकृत रहेंगी।
- अ.अ.क. 4** विकलांग छात्रों एवं उम्मीदवारों को लेखन सहायक प्रदान करने की आवश्यकता होती है और उन्हें पारिश्रमिक दिया जाना उचित प्रतीत होती है। अतः पारिश्रमिक प्रदान किये जाने के प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष रखा जाये।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की दिनांक 09.03.2018 की स्थगित

बैठक दिनांक 12.03.2018 का कार्य विवरण

अ.अ.क. 5 CBCS प्रणाली के तहत प्रस्तुत अध्यादेशों के प्रारूपण पर विचार।

विश्वविद्यालय के द्वारा कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 13.7.2009 में अनुमोदित 34 प्रथम अध्यादेश मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अगस्त 2009 में प्रेषित किया गया था, परन्तु मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इन अध्यादेशों पर तत्समय किसी प्रकार के अनुमोदन या अनापत्ति संबंधी जानकारी नहीं भेजी गयी थी। अतः भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की अनुमति हेतु पुनः 34 अध्यादेश मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रेषित किये गये थे। उनमें से अध्यादेश क्रमांक .4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 19 एवं 21 पर पर अन्य अध्यादेशों के साथ-साथ कतिपय टिप्पणियां अंकित कर सुधार करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निर्देशित किया था। उक्त टिप्पणियों के आधार पर संबंधित विभागाध्यक्षों से परामर्श उपरांत अधिष्ठाताओं के द्वारा अध्यादेशों को पुनः प्रारूपित किया गया है। यह भी कि वर्तमान में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में UGC द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर CBCS प्रणाली लागू हो चुकी है। अतः उक्त अध्यादेशों का CBCS प्रणाली के अनुरूप प्रारूपण किया गया है।

यह भी कि विश्वविद्यालय के सक्षम सांविधिक निकायों के द्वारा वर्तमान में प्रचलित पंचवर्षीय एकीकृत UG/PG पाठ्यक्रमों को शैक्षणिक सत्र 2018-19 से समाप्त करते हुए 3 वर्षीय स्नातक (आनर्स) पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने का निर्णय लिया गया एवं उक्त 3 वर्षीय (6 सेमेस्टर) अवधि के पाठ्यक्रमों के लिए सत्र 2018-19 से प्रभावी होने वाले पाठ्यक्रमों के अध्यादेशों को भी प्रारूपित किया गया।


उक्त के अनुक्रम में समिति द्वारा निम्नलिखित अध्यादेशों के प्रारूपों का अनुमोदन किया गया –


1. बी. एससी० (आनर्स)
 2. बी०ए० (आनर्स)
 3. बी० कॉम० (आनर्स)
 4. बी०एस० डब्ल्यू०
 5. बी० एड० / बी० एड० स्पेशल
 6. एम०एड०
 7. बी०पी०एड०
 8. एम०पी०एड०
 9. बी० लिब०
 10. एम० लिब०
 11. बी० टेक
 12. बी०ए०एल०एल०बी० / बी० कॉम एल०एल०बी०
 13. बी०एससी० (फारेस्ट्री)

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि बीफार्मो का अध्यादेश जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है में भी आवश्यक संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं ताकि PCI द्वारा जारी B.Pharm एवं M.Pharm के नवीन विनियम को अध्यादेश में समाहित किया जा सके। अतः संशोधित B.Pharm अध्यादेश के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि पंचवर्षीय एकीकृत UG/PG पाठ्यक्रमों के अध्यादेशों के अधीन सत्र 2017-18 तक प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर नवीन अध्यादेश लागू नहीं होंगे तथा ऐसे प्रवेशित छात्र एकीकृत UG/PG पाठ्यक्रमों के अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुरूप पाठ्यक्रमों की अधिकतम अवधि पूर्ण होने तक इससे संचालित होंगे। उक्त पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि के उपरांत एकीकृत UG/PG पाठ्यक्रमों के अध्यादेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जायेंगे।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक संपन्न हुई।


कुलसचिव (कार्यवाहक) / सचिव


कुलपति / अध्यक्ष